Regarding need to provide fee-concession to SC/ST students in admission to MBBS courses in private Medical and Dental Colleges-Laid

श्री मुरारी लाल मीना **(दौसा) :** मै सरकार का ध्यान देश के लाखों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो NEET जैसी कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी भारी शुल्क के कारण डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाते । देश में लगभग 549 सरकारी व 260 निजी मेडिकल कॉलेज, 313 सरकारी व 263 निजी डेंटल कॉलेज और कई डीम्ड विश्वविद्यालय हैं । NEET UG 2025 में 23 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए, पर सरकारी कॉलेजों में सीटें सीमित हैं । मजबूरी में निजी संस्थानों में दाखिला लेना पड़ता है, जहाँ फीस राज्य कोटा हो या प्रबंधन कोटा सभी में बहुत अधिक है, जो कमजोर वर्गों के लिए असंभव है । IIT जैसे संस्थानों में फीस छूट दी जाती है, तो मेडिकल शिक्षा में क्यों नहीं? मेरा आग्रह है कि सभी निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए MBBS की फीस सीमित/छूट दी जाये । साथ ही पहले से जमा अतिरिक्त शुल्क वापस किया जाए । चिकित्सा शिक्षा विलासिता नहीं, बल्कि हर वर्ग का अधिकार है । सरकार से अनुरोध है कि तुरंत ठोस निर्णय लेकर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवाओं के सपनों को साकार करें ।